न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 55/2025 एवं 56/2025
प्रकरण दर्ज तिथि :— 07.04.2025
जीसीएमएस नम्बर :— 2025/125 एवं 2025/126

1. मनोहरलाल पुत्र श्री भंवरलाल, उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बूटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर — वादी

बनाम

1 ताराचन्द पुत्र श्री मला उम्र—वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बूटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर
2 हापुराम पुत्र पुना उम्र—वयस्क जाति मेघवाल बूटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर
3 राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर, जिला ब्यावर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,92,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 वादी उपस्थित
2 प्रतिवादी एकपक्षीय कार्यवाही अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 08.12.2025**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,92,188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074—2077 के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी की खरीद शुदा भूमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2075—2076 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का 149/160 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160 वादी द्वारा खरीद शुदा कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि मे वादी का 15/16 वां हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है।

वादी खरीद दिनांक से आज दिनांक तक मौके पर खरीद समय मे दिये कब्जे अनुसार कब्जा काश्त कर रहा है एवं मौके पर वादी का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी की सम्पूर्ण भूमि एक खाते मे शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भूमि खसरा अनुसार एक जोत दर्शाई गयी है। मौके कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी की वादी की भूमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं माठ को लेकर आए—दिन झगडा—फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी विवाद

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त वादी व प्रतिवादी का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादी के कब्जे की भूमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एंव उनसे बंटवाडा करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादी ने खरीद के बाद कई मर्तबा प्रतिवादी से निवेदन किया कि वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादी के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भूमि को अपने–अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी ने वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादी के बार–बार बंटवाडा करने की बात कहने पर प्रतिवादी ने बंटवाडा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकास्मा का पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी व उनके वारिशानों से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादी की भूमि मे दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण व उनके वारिशानों ने बंटवाडा करने से मना कर दिया। वादी ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बंटवाडा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिंनाक 30.03.2025 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपने कब्जे अनुसार विवादित भूमि का तकास्मा करवाने की अधिकारी है इसलिए दावा बंटवाडा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी व उनके वारिशान को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, वाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को वार वार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादी को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पडेगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये वंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रही है।

डिक्री तकास्मा वादी वहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का वूटींवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमावन्दी सवत् 2074–2077 के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टैयर किस्म वारानी दोयम, मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी की खरीद शुदा भूमि है। बादग्रस्त आराजीयात मे वादी का

राजस्व अपील प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

149/160 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160 वादी द्वारा खरीद शुदा कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि मे वादी का 15/16 वा हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। उपरौक्त विवादित भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बंटी हुई है। विवादित भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी व उनके वारिशानों को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादी के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो।

2. वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,92,188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074–2077 के खाता सं. 148 खसरा सं. 294 रकबा 0.6880 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खाता सं. 418 खसरा सं. 293 रकबा 0.6070 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी की खरीद सुदा भूमि है।

उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2075–2076 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 294 मे वादी का 83/96 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160 वादी द्वारा खरीद सुदा कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि मे वादी का 209/240 वां हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

अधिकार प्राप्त किये है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वा हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/15 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 293 मे वादी का 383/480 वां हिस्सा दर्ज रकेर्ड है तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160 वादी द्वारा खरीद सुदा कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि मे वादी का 193/240 वा हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 2/15 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादी खरीद दिनांक से आज दिनांक तक मौके पर खरीद समय मे दिये कब्जे अनुसार कब्जा काश्त कर रहा है एवं मौके पर वादी का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी की सम्पूर्ण भूमि एक खाते मे शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भूमि खसरा अनुसार एक जोत दर्शाई गयी है। मौके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी की वादी की भूमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं नाठ को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त वादी व प्रतिवादी का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादी के कब्जे की भूमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एवं उनसे बंटवाडा करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादी के बार–बार बंटवाडा करने की बात कहने पर प्रतिवादी ने बंटवाडा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकास्मा का पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी उनके वारिशानों से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादी की भूमि मे दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण व उनके वारिशानों ने बटवाडा करने से मना कर दिया।

वादी ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बंटवाडा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादी की नीयत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाडा करवाने से दिनांक 30.03.2025 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपने कब्जे अनुसार विवादित भूमि का तकास्मा करवाने की अधिकारी है इसलिए दावा बटवाडा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी व उनके वारिशान को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपूर्णीय

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (शेखावाटी)

क्षति होगी प्रतिवादी 1 व 2 को उपरोक्त वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। संयुक्त खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती द्वारा अपना हिस्सा वादी को बेचान कर देने से उसे पक्षकार नही बनाया है।

डिक्री तकास्मा वादी वहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवारा, भू. अभि. निरिक्षक क्षेत्र गिर्श तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074–2077 के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादी की खरीद सुदा भूमि है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 294 मे वादी का 83/96 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160 वादी द्वारा खरीद शुदा कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि मे वादी का 209/240 वां हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वां हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/15 वां हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 293 मे वादी का 383/480 वा हिस्सा दर्ज रकेर्ड है तथा सह खातेदार हेमन्त पुत्र मधुमती का हिस्सा 1/160 वादी द्वारा खरीद कर रखा इस प्रकार विवादित भूमि मे वादी का 193/240 वा हिस्सा बनता है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/16 वा हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 2/15 वा हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। उपरोक्त विवादित भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बंटी हुई है। विवादित भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रेकर्ड मे वटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे वटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी व उनके वारिशानों को पावंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादी के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुऐ है जो संलग्न पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जबावदावा का अवसर समाप्त किया गया। वादी अधिवक्ता ने उक्त वादपत्र पर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। वादी के साक्ष्य के समर्थन में बयान लिये जाकर पत्रावली संलग्न किये गये हैं। वादी ने अपने वादपत्र को साबित करने के लिए अपना मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। जिसके प्रत्येक पेज पर A TO B अपने (वादी) हस्ताक्षर होना जाहिर किये। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। उक्त जमाबंदी में वर्णित हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाने से वादी की साक्ष्य अखण्डित रही।

बहस अधिवक्ता की सुनी गई। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर लाए गए तथ्यों एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र गिरी के खाता सं. 396 खसरा सं. 296 रकबा 1.7401 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 02 की संयुक्त कृषि भूमि है। विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के बवजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। जिस कारण वाद में प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं हुआ हैं। वादी की साक्ष्य भी अखण्डित रही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा उनके जमाबंदी में निहित हक हिस्से व मौके पर कब्जा को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/2509 दिनांक 03.12.2025 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।जो संलग्न पत्रावली किया गया। बंटवाडा अनुसार तहसीलदार रायपुर ने निवेदन किया कि मौके पर पाया गया कि खसरा नम्बर 293,294 व 296 पास–पास स्थित हैं। खातेदार ताराचंद व हापुराम का तीनो खसरान् मे से खसरा नम्बर 293 में 0.3170 हैक्टेयर का कब्जा हैं व खातेदार मोहनलाल का तीनो खसरान् 293,294 व 296 में 2.7181 हैक्टेयर का कब्जा हैं। राजस्व वाद संख्या 55/2025, खसरा नम्बर 296 से संबंधित हैं जिसमें प्रतिवादी ताराचंद का कब्जा नहीं होने से प्राथमिक डिक्री की पालना किया जाना संभव नहीं होने से उक्त दोनो वाद संख्या 55/2025 व 56/2025 अनवान मनोहर बनाम ताराचन्द्र वगैरह में डिक्री की पालना रिपोर्ट सामलात तैयार की गई हैं। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र में वादी ने बताया कि तहसीलदार रायपुर से राजस्व वाद संख्या 55/2025 व 56/2025 की दोनो पत्रावली की संयुक्त पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं,इसीलिए दोनो वादपत्रो को एक साथ निर्णित किया जाता हैं तो वादी को कोई आपत्ति नहीं हैं। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 55/2025 व 56/2025 की दोनो पत्रावली का एक साथ सुनने का अवसर प्रदान किया जाता हैं।

वादी ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में दोनो पत्रावली, राजस्व वाद संख्या 55/2025 व 56/2025 में एक साथ निर्णित कर बंटवाडा के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा का अवलोकन करने पर यह पाया कि राजस्व वाद संख्या

2-

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (डांगर)

55/2025 व 56/2025 में खातेदारो के मध्य बंटवाडा प्रस्ताव शामलाती तैयार किया गया हैं इसीलिए उक्त दोनो पत्रावली का एक साथ निर्णित किया जाना आवश्यक हैं। इस पर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा भी कोई आपत्ति नही हुई हैं। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा दोनो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र गिरी के वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। जो निम्न हैं।

राजस्व ग्राम एवं पटवार हल्का का नाम	खातेदार का नाम	आराजी ख. न. प्रस्तावित	क्षैत्रफल है. मे	किस्म	लगान
मेसिया पटवार हल्का बूटीवास	ताराचन्द पुत्र मला जाति मेघवाल सा देह खातेदार	293	0.1900	बा.दो.	0.36
		1	0.1900	बा.दो.	0.36
	हापूराम पुत्र पुना जाति मेघवाल सा देह खातेदार	293/1	0.1270	बा.दो.	0.24
		1	0.1270	बा.दो.	0.24
	मनोहर लाल मेघवाल पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	293/2 294 296	0.2900 0.6880 1.7401	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	0.56 1.31 3.32
		3	2.7181	बा.दो.	5.19

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुमित्रा बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई आर.ए.एस.

1. मनोहरलाल पुत्र श्री भंवरलाल, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बुटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर **वादी**

बनाम.

1 ताराचन्द पुत्र श्री मला उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी बुटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर
2 हापुराम पुत्र पुना उम्र–वयस्क जाति मेघवाल बुटीवास, तहसील रायपुर जिला ब्यावर
3 राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर, जिला ब्यावर **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः उक्त वादपत्र में सरहद मौजा मेसिया, पटवार हल्का बूटीवास, भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र गिरी के वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। जो निम्न हैं।

राजस्व ग्राम एवं पटवार हल्का का नाम	खातेदार का नाम	आराजी ख. न. प्रस्तावित	क्षैत्रफल है. मे	किस्म	लगान
मेसिया पटवार हल्का बूटीवास	ताराचन्द्र पुत्र मला जाति मेघवाल सा देह खातेदार	293	0.1900	बा.दो.	0.36
		1	0.1900	बा.दो.	0.36
	हापूराम पुत्र पुना जाति मेघवाल सा देह खातेदार	293/1	0.1270	बा.दो.	0.24
		1	0.1270	बा.दो.	0.24
	मनोहर लाल मेघवाल पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	293/2 294 296	0.2900 0.6880 1.7401	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	0.56 1.31 3.32
		3	2.7181	बा.दो.	5.19

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज..... .....मुबलिक..... .....बाबत्..... ..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.12.2025 को जारी किया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	12	00	मीजान			
मीजान		20	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।